


खाद्य सुरक्षा के लिये जल संसाधन प्रबंधन की आवश्यकता

सुनील कुमार त्यागी एवं
रवीन्द्र सिंह



चित्र 1 : भारत में जनसंख्या वृद्धि व खाद्यानांक का उत्पादन

सरकारी व गैर-सरकारी संस्थानों के प्रबंधकों व योजनाकारों के लिये यह उचित समय है कि जल संरक्षण व प्रबंधन के लिये दक्ष, प्रभावी व अभिनव योजनाओं को जनता के समक्ष प्रस्तुत करें। साथ ही इस प्रकार की परियोजनाओं में जन समुदाय को प्रभावी रूप से सम्मिलित कर भारत को खाद्यानांक के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की जा सकती है।

हाल ही में भारत सरकार ने अपनी महात्वाकांक्षी परियोजना 'खाद्य सुरक्षा विधेयक' को केविनेट से पारित कराया। इस विधेयक के अंतर्गत सरकार द्वारा देश के लगभग 63 प्रतिशत लोगों को सस्ती दरों पर अनाज देने का प्रस्ताव है। इस प्रकार की परियोजना को सफल बनाने के लिये पर्याप्त मात्रा में खाद्यानांक की उपलब्धता अति आवश्यक है। 1960 के दशक के बाद प्रथम हारित क्रांति, अधिक उपज वाली किस्में, पर्याप्त मात्रा में रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता तथा उपयोगिता व कृषि में वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग कर खाद्यानांक की उत्पादकता में आत्म निर्भर होने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। परन्तु लगातार बढ़ती आवादी, जलवायु


परिवर्तन, सीमित भूमि संसाधन तथा अधिक से अधिक जल की आवश्यकता इस वृद्धि में अवरोध पैदा करते जा रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से भारत खाद्यानांक के उत्पादन में निरन्तर वृद्धि दर्ज कर रहा है। परन्तु भारत जैसे विकासशील देश के लिये खाद्यानांक के उत्पादन में निरन्तर वृद्धि को बनाए रखना एक चुनौती पूर्ण कार्य है। इस संदर्भ में उपलब्ध आंकड़ों व जानकारी के आधार पर एक विश्लेषण किया गया है जो यह दर्शाता है कि खाद्यानांक के उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के लिये जल संसाधनों का प्रबंधन अति आवश्यक है।

भारत विश्व में दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है जिसकी अधिकतर आवादी की जीविका कृषि

या कृषि से सम्बंधित संसाधनों पर निर्भर है। हालांकि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान बहुत कम है। परन्तु इतनी बड़ी जनसंख्या के पोषण के लिये कृषि पर ही निर्भर होना पड़ता है। लगातार जनसंख्या वृद्धि के महेनजर, खाद्यानांक का अधिक से अधिक उत्पादन एक जटिल कार्य है जोकि उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बनाता है। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कृषि योग्य भूमि संसाधनों का विस्तार बहुत ही सीमित है। अतः जल संसाधन ही एक मात्र विकल्प बचता है जिस पर विशेष ध्यान केन्द्रित कर इस कार्य में सफलता अर्जित की जा सकती है। जनसमुदाय में यह धारणा रहती है कि जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है जिसके फलस्वरूप इस संसाधन का बहुत दुरुपयोग हुआ है। भू-जल के अति दोहन से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है कि जल स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। वह समय दूर नहीं जब जल के अभाव में खाद्यानांक के उत्पादन को लेकर एक विकट समस्या पैदा हो जाएगी। ऐसी विकट स्थिति से बचने के लिये उपलब्ध जल संसाधनों का प्रबंधन अति आवश्यक है। इस विषय में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी प्रस्तुत किये गए हैं जिनको अपनाकर खाद्यानांक के उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है।

जनसंख्या वृद्धि

सन् 2011 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार, भारत की जनसंख्या 1.21 अरब हो गयी है (चित्र 1), जो विश्व की जनसंख्या का 17.31 प्रतिशत है। भूमि क्षेत्रफल में भारत विश्व क्षेत्रफल का केवल 2.4 प्रतिशत



अथक प्रयास करने की आवश्यकता है। इस दिशा में यदि बुआई क्षेत्रफल में वृद्धि की बात की जाय तो वहाँ पर बढ़ोतरी की संभावना बहुत कम है। साथ ही यदि अच्छे बीज व अच्छे उर्वरकों का प्रयोग कर खाद्यानों के उत्पादन में वृद्धि का प्रयास किया जाए तो उसके लिये उचित मात्रा में सिंचाई जल की उपलब्धता अति आवश्यक है। अतः खाद्यानों की आपूर्ति में आत्मनिर्भर होने के लिये सिंचाई जल की उपलब्धता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

है। हालांकि पिछले दशक में जनसंख्या वृद्धि दर में कमी दर्ज की गयी है फिर भी सन् 2030 में भारत विश्व स्तर पर जनसंख्या के क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त कर लेगा। भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण हैं जिसमें गरीबी, निरक्षरता व उच्च प्रजनन दर आदि मुख्य हैं। सन् 1956-57 के आंकड़ों के अनुसार, भारत में कुल बुआई क्षेत्रफल 130.85 मिलियन हेक्टेयर था जोकि सन् 2007-08 में 140.86 मिलियन हेक्टेयर हो गया था। इस प्रकार 50 वर्षों में, बुआई क्षेत्रफल में, लगभग 7.65 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है जबकि 1951 से 2011 के दौरान जनसंख्या में यह वृद्धि 235 प्रतिशत आंकी गयी है। अतः बुआई क्षेत्रफल वृद्धि दर व जनसंख्या वृद्धि दर में बहुत अधिक अन्तर है जिसके फलस्वरूप उपलब्ध संसाधनों की क्षमता का अधिक से अधिक उपयोग करके ही खाद्यानों की आपूर्ति को जा सकती है।


खाद्यानों के उत्पादन में जल संसाधनों की भूमिका

सन् 2011-12 में भारत ने 252.56 मिलियन टन खाद्यानों का उत्पादन कर एक नई उपलब्ध हासिल की है जोकि सन् 1950-51 के आंकड़ों के आधार से 396 प्रतिशत अधिक है (चित्र 2)। भारत में खाद्यानों की सूची में गेहूँ, चावल, दालें व कोरस अनाज अर्थात् ज्वार, मक्का व बाजरा आदि मुख्य हैं। 1980 के दशक से

खाद्यानों के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गयी है जिसके लिये अधिक उपजाऊ बीज, प्रभावी उर्वरकों द्वारा फसलों का पोषण व उपयुक्त मात्रा में सिंचाई जल की उपलब्धता मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। चित्र 2 में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि भारत में जैसे-जैसे सिंचाई क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है वैसे-वैसे ही खाद्यानों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। अतः खाद्यानों के उत्पादन व सिंचाई क्षेत्रफल में समानांतर वृद्धि से यह सिद्ध होता है कि खाद्यानों के उत्पादन में जल संसाधनों का महत्वपूर्ण योगदान है। खाद्यानों के उत्पादन में जल संसाधनों की भूमिका को इस प्रकार भी दर्शाया जा सकता है कि सिंचाई क्षेत्रफल में निरन्तर वृद्धि के कारण खाद्यानों की उत्पादन दर में भी निरन्तर वृद्धि दर्ज की गयी है। आंकड़ों के अनुसार, 1950-51 से 2007-08 तक खाद्यानों की उत्पादन दर में 522 से 1860 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक का सुधार दर्ज किया गया है अतः खाद्यानों के उत्पादन में जल संसाधनों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है।

खाद्यानों की माँग व आपूर्ति

यह सर्वविदित है कि जैसे-जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती है उसी अनुपात में खाद्यानों की माँग में भी बढ़ोतरी होती है। ऐसा भी समय था जब भारत को खाद्यान आपूर्ति के लिये विदेशों से आयात करना पड़ता था। परन्तु सन् 1980 के पश्चात् से, भरने के लिये विभिन्न स्तरों पर



चित्र 3 : नहरों व भूजल से सिंचित क्षेत्रफल

जल संसाधनों का उचित उपयोग

खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ.ए.ओ.) के अनुसार विश्व में कुल जल प्रयोग का 70 प्रतिशत कृषि के लिये, 11 प्रतिशत नगरपालिका अर्थात् पीने व अन्य मानवीय क्रियाओं के लिये तथा 19 प्रतिशत औद्योगिक विकास के लिये उपयोग में लाया जाता है। परन्तु भारत इस अंतर्राष्ट्रीय चलन का पालन न कर कृषि क्षेत्र में बहुत अधिक जल का प्रयोग कर रहा है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, भारत ने सन् 1990 में कृषि के लिये कुल जल प्रयोग का 87 प्रतिशत (437 विलियन क्यूबिक मीटर), व सन् 2000 व 2010 में 85 प्रतिशत प्रयोग किया है। एक विदेशी संस्था के आंकलन के अनुसार भारत में सन् 2030 तक कृषि के लिये 1198 विलियन क्यूबिक मीटर जल की आवश्यकता होगी जोकि कुल जल प्रयोग इस प्रकार का 80 प्रतिशत अंश है (तालिका 1)।

तालिका 1 : भारत व चीन का वार्षिक जल उपयोग व आवश्यकता (बिसीएम-बिलियन क्यूबिक मीटर)

	भारत (वर्षे)				चीन (वर्षे)					
	जल उपयोग (बीसीएम)	1990	2000	2010	2030	1980	1993	1997	2005	2030
कुल	502	634	813	1498	444	519	557	563	818	
कृषि में उपयोग	437	541	688	1198	370	383	392	358	417	
उपयोग प्रतिशत	87	85	85	80	83	74	70	64	51	

सिंचाई के लिये जल की यह पूर्वानुमानित मात्रा उस समय उपलब्ध जल की मात्रा से कम होगी। अतः यह एक चिंता का विषय है। अधिक जल प्रयोग का एक विशेष कारण यह भी है कि किसान समुदाय प्रायः अधिक जल से सिंचाई (फलड इरिगेशन) विधि का विस्तार रूप में प्रयोग करते हैं जिसके कारण अधिक जल का प्रयोग होता है साथ ही उस का बहुत बड़ा हिस्सा बिना उपयोग के नष्ट हो जाता है और भूमि व जल प्रदूषण का कारण बनता है। भारत में सिंचाई के दो प्रमुख स्रोत हैं: सतही जल व भू-जल। चूंकि सतही जल के विस्तार की सम्भावनाएँ लगभग नगण्य हैं, अतः भूमि सिंचाई क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रमुख स्रोत केवल भू-जल है। अर्थात् विशाल क्षेत्रफल को सिंचित करने के लिये लाखों नलकूपों का निर्माण किया गया है जो मूलरूप से भू-जल दोहन का कारण है तथा जिसके फलस्वरूप भूजल स्तर में निरन्तर गिरावट दर्ज की गयी है। उत्तरी भारत में खाद्यानों की आपूर्ति के लिये जिम्मेदार कुछ राज्य जैसे, पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भू-जल की निकासी काफी अधिक है। यही नहीं, भारत


के अन्य हिस्सों में भी भू-जल सम्पर्क व निकासी में काफी अन्तर है। एक आकलन के अनुसार, यदि भू-जल संरक्षण के उचित कदम नहीं उठाये गये तो, सन् 2030 में कुछ बड़ी नदियों के बेसिन, जैसे गंगा, कृष्णा व सिन्धु नदी का कुछ हिस्सा, के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में जल संकट उत्पन्न होने की पूरी संभावनाएँ हैं। एक राष्ट्रीय सर्वे के अनुसार भारत का 29 प्रतिशत भू-जल अल्प दोहन या अति दोहन क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। वासी क्षेत्रों की स्थिति भी इस प्रकार के संकट का आभास करती है। कुछ क्षेत्रों में भू-जल के स्तर में भारी गिरावट के कारण खाद्यानों के उत्पादन में कमी की आशंका जताई गयी है।

सिंचाई जल पर बढ़ता खर्च

भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ की लगभग 70 प्रतिशत आबादी कृषि या कृषि से सम्बंधित व्यवसाय से जुड़ी हुई है। कृषि में सिंचाई जल का बड़ा महत्व है अतः प्रलोभन के रूप में कृषि के लिये निःशुल्क विजली का एलान कर दिया जाता है और किसानों को ऐसा महसूस होता है कि सिंचाई जल मुफ्त

जैसे-जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती है उसी अनुपात में खाद्यानों की मात्रा में भी बढ़ोत्तरी होती है। ऐसा भी समय था जब भारत को खाद्यान आपूर्ति के लिये विदेशों से आयात करना पड़ता था। परन्तु सन् 1980 के पश्चात से, चाहे विपरीत जलवायु परिस्थिति हो, चाहे बढ़ती आबादी का बोझ हो, भारत खाद्यानों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है। राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा हासिल करने में उन्नत किस्म के बीज, उत्तम उर्वरकों व भूमि सिंचाई क्षेत्र में विस्तार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

में मिल रहा है जिसके फलस्वरूप अधिक से अधिक भू-जल का दोहन होना स्वाभाविक है। सिंचाई के लिये विभिन्न जल प्रयोग का विवरण चित्र 3 में विस्तृत रूप से किया गया है। भू-जल अति दोहन प्रक्रिया के कारण भारत के विभिन्न क्षेत्रों जैसे पंजाब व हरियाणा के कुछ भाग, दक्षिणी राजस्थान, उत्तरी गुजरात व तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में भू-जल के स्तर में काफी गिरावट दर्ज की गयी है। अतः इन क्षेत्रों में मात्र नलकूप लगवाना ही काफी खर्च का सौदा बन गया है। पिछले कुछ दशकों की तुलना में भारत में छोटे किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। अतः लगभग हर क्षेत्र में कुछ ऐसे किसान भी होते हैं जिनके खेतों में विजली की सुविधा नहीं होती। ऐसी स्थिति में किसानों को डीजल द्वारा चालित उपकरणों



चित्र 4 : भारत व चीन में गेहूँ व धान के उत्पादन में तुलना

का इस्तेमाल करना पड़ता है। चूंकि डीजल के दामों में लगातार वृद्धि होती जा रही है व भू-जल स्तर में भी निरन्तर गिरावट दर्ज हो रही है, अतः ऐसी स्थिति में फसलों की सिंचाई पर काफी खर्च हो जाता है। जल संसाधन मंत्रालय के एक आंकलन के अनुसार यदि भू-जल के स्तर 1 मीटर उपर उठता है तो प्रति घंटा 0.4 किलो वाट ऊर्जा की बचत हो जाती है। इसी प्रकार यदि भू-जल के स्तर में 1 मीटर की गिरावट होती है तो उतनी ही अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पिछले कुछ वर्षों में भारत के अधिकतर क्षेत्रों में भू-जल के स्तर में भारी गिरावट के कारण खाद्यानों के उत्पादन में कमी की आशंका जताई गयी है।

कृषि में जल उपयोग दक्षता की अत्यावश्यकता

कृषि क्षेत्र में जल संसाधन प्रबंधन को कार्यान्वित करने के लिये जल उपयोग दक्षता का अमल में लाना अति आवश्यक है। इस प्रक्रिया का प्रभावी रूप से उपयोग कर बहुत से देशों ने अधिक उपज लेने के साथ-साथ अपने जल संसाधनों का भी संरक्षण कर लिया है। यदि चीन का ही उदाहरण लें, जोकि संसार में सबसे अधिक खाद्यानों का उत्पादन करता है, तो यह विदित होता है कि चीन ने अपने जल संसाधनों का उपयोग अधिक दक्षता से किया है। जैसा कि तालिका 1 में दर्शाया गया है कि भारत की तुलना में चीन ने सन् 2005 में कृषि के लिये कुल जल प्रयोग का केवल 64 प्रतिशत (358 बिलियन क्यूबिक मीटर) ही उपयोग किया है। एक पूर्वानुमान के अनुसार, चीन को सन् 2030 तक कृषि के लिये 417 बिलियन क्यूबिक मीटर जल की आवश्यकता होगी जोकि कुल जल प्रयोग का केवल 51 प्रतिशत है। यही नहीं, कम जल प्रयोग के साथ-साथ चीन खाद्यानों की उत्पादकता में भी काफी आगे है। जैसा कि चित्र 4 में भली-भांति दर्शाया

लेख

गया है। चीन को यह उपलब्धि सरकार की उचित नीतियों व फसलों के लिये उचित जल उपयोग दक्षता द्वारा जल संसाधन प्रबंधन को प्राथमिकता देकर ही हासिल हो सकी है। अतः कृषि क्षेत्र में जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के विभिन्न प्रभावी उपायों को कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। परन्तु सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिये जल व भूमि संसाधनों की संयुक्त प्रबंधन प्रणाली को अपनाकर ही यह उपलब्धि प्राप्त की जा सकती है।

कृषि क्षेत्र में जल संसाधन प्रबंधन को कार्यान्वित करने के लिये जल उपयोग दक्षता का अपमान में लाना अति आवश्यक है। इस प्रक्रिया का प्रभावी रूप से उपयोग कर बहुत से देशों ने अधिक उपज लेने के साथ-साथ अपने जल संसाधनों का भी संरक्षण कर लिया है।

उपरोक्त विश्लेषण यह दर्शाता है कि खाद्यानां के उत्पादन में वृद्धि के लिये अधिक उपज वाली किसीं व बेहतर वैज्ञानिक पद्धतियों के अलावा जल संसाधनों के उचित प्रबंधन की अति आवश्यकता है। जल संसाधन प्रबंधन द्वारा उन क्षेत्रों में सिंचाई जल उपलब्ध कराने के प्रयास करने चाहिये जहाँ फसलों के लिये अधिक जल की आवश्यकता है। देश के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में जल उपलब्धता के आधार पर ही फसलों की बुआई का समय व फसलों के प्रकार का चयन आवश्यकतानुसार करना चाहिये। इस प्रकार के सामंजस्य से जल अभाव की स्थिति के विपरीत प्रभाव को भी कम किया जा सकता है। जैसा कि पहले भी वर्णन किया गया है कि सिंचाई जल की मांग व

उपलब्धता में अन्तर के कारण भू-जल दोहन की प्रक्रिया में तेजी आ गयी है जिसके फलस्वरूप भू-जल स्तर में निरन्तर गिरावट के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक विकास पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः जल संसाधन प्रबंधन के प्रभावी व दक्ष समाधान के लिये सामाजिक-आर्थिक विकास को ध्यान में रख कर प्रयास करने की आवश्यकता है। सभी विकास की योजनाएं जल संरक्षण, सिंचाई जल उपयोग दक्षता, जल का कम से कम अपव्यय व जल की गुणवत्ता के संरक्षण को ध्यान में रख कर सुरक्षित व प्रभावी ढंग से कार्यान्वित की जाए।

भू-जल संभरण प्रक्रिया को प्राथमिकता दे कर अति भू-जल दोहन वाले क्षेत्रों में उचित फसल चक्र द्वारा जल संरक्षण योजनाओं का विस्तार कर भू-जल स्तर में निरन्तर गिरावट को रोका जा सकता है। कुछ सरकारी योजनाएं, जिनमें किसानों को सिंचाई हेतु निःशुल्क विद्युत खर्च का प्रस्ताव होता है, पर अकुश लगाकर अति भू-जल दोहन को नियन्त्रित किया जा सकता है। इस प्रकार की योजनाओं पर अकुश लगाने से भू-जल के अधिक अपव्यय व विवेकहीन प्रयोग को नियन्त्रित करने में प्रोत्साहन मिलता है। सरकारी व गैर-सरकारी संस्थानों के प्रबंधकों व योजनाकारों के लिये यह उचित समय है कि जल संरक्षण व प्रबंधन के लिये दक्ष, प्रभावी व अभिनव योजनाओं को जनता के समक्ष प्रस्तुत करें। साथ ही इस प्रकार की परियोजनाओं में जन समुदाय को प्रभावी रूप से सम्मिलित कर भारत को खाद्यानां के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की जा सकती है।

संपर्क करें :

डॉ. सुनील कुमार त्यागी एवं रवीन्द्र सिंह, कृषि भौतिकी संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान,
कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली-110012
ई-मेल : sktyagi@iari.res.in]

तापी की बाढ़ - (2006)

डॉ. सुषमा अथर



कभी-कभी जाते थे जिसे मिलने, वही तापी आ गई सबके घर रहने। बनी चण्डिका, जल की ले चावुक। देखते ही झील बन गया सारा शहर, प्रलय सा मच गया बाढ़ का कहर। मानो सूरत ने ले ली हो जल समाधि, कहीं घर पूरे ढूबे, कहीं छत आधी। गली, घर, दफ्तर हो या हो पाठशाला, अस्पताल, दुकान का हो पहला माला, सारी जमीन पानी में थी गर्क, मिट गया ऊँच-नीच का फर्क। मुसीबत में, जाने-अनजाने सब दोस्त हुए, गिले-शिकवे मिटा कर सब एक हुए। पानी का स्तर धीरे-धीरे बढ़ रहा था, जल प्रवाह भी अब जोर पकड़ रहा था।

तैर रही थी पेट्रोल, डीजल की गाड़ियाँ, बने तालाब बाग, बगीचे व बाड़ियाँ। वह रही थी बूढ़े दादा की छड़ी, बही दीवार से पुरखों की घड़ी। वही बीती हुई सुख की घड़ी,

वह गई यादें, मुलाकातें सभी, वह गई निशनियाँ, भेट सौगातें सभी। वह रहे थे बच्चों के झूले,

किताबें, खिलौने, स्कूल के थैले।

न अब कोई यहाँ हिन्दू था,

न कोई अब मुसलमान था।

पानी में भूखा, जो फंसा था,

वह केवल बेवस इन्सान था।

कई लाशें वहीं, इमारतें ढहीं,

कई मरे, बेमौत, बिना दरवाई,

कहीं प्रसव में नक्जात की रुलाई।

तीन-चार दिन का था कारावास,

न था दूध या पानी, थी बस प्यास।

कहने को था पानी ही पानी पास।

टी.वी., बिल्ली, फोन, रेडियो थे ठप्प,

लोग, बेचैन, मार रहे थे गप्प।

जो हाथ सदा दान के लिए उठे थे, वे आज पानी मांगने वधे थे। भूखे बच्चों को कहानी से बहलाया दूध के बदले दो धूंट पानी पिलाया, पट्ठर दिल बाप भी चुपचाप रोया, जब बच्चा रोटी मांग, भूखा सोया। बेगाने लोग संकट में अपने हुए, आसपास के गाँव सहायता को आए, ट्रैक्टर में पानी दूध भर लाए। अनजाने से फूड पैकेट थे पाये, ऊपर हेलिकॉप्टर मंडरा कर चला जाता, जैसे कोई विदूषक हंसता हो जैसे। जाने कहाँ थे नेता, व सरकार की मदद?

अब खुद करनी थी अपनी ही मदद। कहते हैं बिन बारिश की थी ये बाढ़, किसी के गलत निर्णय से सूरत हुआ बर्बाद।

अचानक तापी का अपना घर याद आया,

शायद पिया का दर याद आया।

चार-पाँच दिन दहशत में गुजरे,

धीरे-धीरे जलस्तर नीचे उतरे।

चारों ओर कीचड़, सड़ी लाशें थीं, बदबू रोग से बोझिल साँसें थीं।

यह कैसी सूरत की बदसूरती थी, कीचड़ में सनी स्वर्णमूर्ति थीं।

कुदरत ने इन्सान को दे दिया था मात,

दिखा दिया उसकी क्या है औकात।

सबको अब फिर से संभलना होगा,

उठ कर आगे बढ़ना होगा।

भविष्य में हम सावधान रहेंगे,

खूबसूरत सूरत को बचाते रहेंगे।

संपर्क सूची :

डॉ. सुषमा अथर, हिलिंग हैंड्स हॉस्पिटल,

सीटी लाइट सूरत - 395007 (गुजरात)

[फोन : 9426104439]